राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 09 / 2026

प्रार्थी :-

1. यस बैंक लिमिटेड पता यस बैंक हाउस, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताकूल (ई) मुम्बई तथा शाखा कार्यालय- फोर्थ फलोर आनन्द भवन प्लाट नंबर 307 संसार चंद्र रोड चौकडी हवेली बाडमेर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव।

बनाम

अप्रार्थीगणः -

1. श्री गोविन्द काटन मिल्स जरिये प्रोपराइटर गोंविन्द पता- फर्स्ट फेज इण्डिस्ट्रियल एरिया बालोतरा, वार्ड नबंर 3 बिहाईन्ड अग्रसेन स्कूल लेन अग्रवाल कालोनी बालोतरा, जिला बालोतरा।
2. श्री गोविन्द पुत्र श्री राजेन्द्र पता - अग्रवाल कालोनी वार्ड नंबर 4 अग्रसेन स्कूल के पीछे वाली गली, बालोतरा, जिला बालोतरा।
3. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाली उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री कन्हैया लाल पता- अग्रवाल कालोनी वार्ड नंबर 4 अग्रसेन स्कूल के पीछे वाली गली, बालोतरा, जिला बालोतरा तथा प्लाट स्थित खसरा नंबर 638/5 जिसमें से ग मार्ग हिस्सा वार्ड नबंर 3 भरत अग्रवाल कालोनी, बालोतर।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

1.श्री ओमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

दिनांकः- 06.05.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण गोविन्द काटन मिल्स व अन्य के विरूद्व पेश हुआ।

2. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को सेक्शन लेटर संख्या 24488900000050 दिनांक 31.03.2018 को कुल राशि रूपये 26,11,687/- (अक्षरे सब्बीस लाख ग्यारह हजार छ सो सितयासी रूपये) मोर्टगेज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी संख्या 3 श्री

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट • बालोतरा • सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल की मारगेज बंधक संपति प्लाट खसरा संख्या 638/5 ग मार्ग हिस्सा वार्ड नबंर 3 भरत अग्रवाल कालोनी बालोतरा, जिसका कुल क्षेत्रफल 56.66 वर्ग गज है, जिसकी चतुर्थ सीमांए उतर में रोड, दक्षिण में पारसमल जी का मकान, पूर्व में चर्तुभुज, पश्चिम में बाबुलालजी आया हुआ है, को प्रार्थी बैंक /कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज **दिनांक 22.04.2025 तक** 15,84,398/- रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

3. हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक की रिट याचिका संख्या 9694/2005 सुनन्दा कुमारी वगैरह बनाम स्टैण्डर्ड चार्टेट बैंक में पारित निर्णय दिनांक 23.03.2006 के अनुसार ऋणी को धारा 13 की उप धारा के तहत नोटिस जारी किया जाने व तामिल के पश्चात मजिस्ट्रेट को धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः ऋणी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2022 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पति का कब्जा प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत स्पष्ट प्रावधान है, जो इस प्रकार हैः-

14. Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset

(1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured assets, request, in writing, the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated or found, to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him—

(a) take possession of such asset and documents relating thereto; and

(b) forward such asset and documents to the secured creditor:

जिला कलक्टर
बालोतरा

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

4. अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी के पक्ष में बंधक आवासीय अचल सम्पति आवासीय रिहायशी :– अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या 3 श्री श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल की मारगेज बंधक संपति प्लाट खंसरा संख्या 638/5 ग मार्ग हिस्सा वार्ड नबंर 3 भरत अग्रवाल कालोनी बालोतरा, जिसका कुल क्षेत्रफल 56.66 वर्ग गज है, जिसकी चतुर्थ सीमांए उतर में रोड, दक्षिण में पारसमल जी का मकान, पूर्व में चर्तुभुज, पश्चिम में बाबुलालजी आया हुआ है, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास बन्धक रखा था। जिसका भौतिक कब्जा व उससे संबंधित अन्य दस्तावेज जो अप्रार्थी के कब्जें में हों को प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त कराये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, बालोतरा को उक्तानुसार पालनार्थ, संबंधित पुलिस थाना को निर्देशित करने हेतु प्रेषित हों। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के एस बी सिविल रीट पीटिशन नंबर 14419/25 में पारित आदेश दिनांकित 30.10.2025 के अनुसार प्रार्थी को पुलिस इमदाद बाबत् खर्चा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। आदेश की एक प्रति प्रार्थी बैंक/कम्पनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही जारी हो।

5. आदेश आज दिनांक **06.05.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा